

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 388/2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 11.11.2014

श्रीमती आसमों पत्नी शाहरूख पुत्री आसीम खों उमर 22 वर्ष जाति— मुस्लमान  
धंधा— गृहकार्य, निवासी— गुहीसर, थाना मौ परगना गोहद जिला भिण्ड  
..... अभियोजन

बनाम

1. शाहरूख खों पुत्र कासिम खों उमर 30 वर्ष, जाति—मुस्लमान
  2. परविन पुत्री कासिम खों पत्नी निसार खों उमर 27 वर्ष, जाति—मुस्लमान
  3. कल्लू खों पुत्र कासिम खों आयु 35 वर्ष, जाति मुस्लमान
  4. श्रीमती सकूरन पत्नी कासिम खों उमर 55 वर्ष जाति—मुस्लमान
  5. कासिम खों पुत्र मुराद खों आयु 60 वर्ष, जाति—मुसलमान
- समस्त निवासीगण— ग्राम सालौन, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म0प्र0)

..... अभियुक्तगण

( अपराध अंतर्गत धारा—498ए भा0दं0सं0 )  
( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य )  
( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री गिराज भट्टेले )

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 06/04/2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 27.07.2013 के पश्चात् से दिनांक 28.10.2014 के मध्य ग्राम गुहीसर में फरियादिया आसमों के पति/नातेदार होकर फरियादिया आसमों से दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया आसमों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि परिवादी आसमों की का निकाह आरोपी शाहरूख के साथ दिनांक 27.07.2013 को मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ ग्राम गुहीसर में सम्पन्न हुआ था। शादी में परिवादी के पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। परिवादी के पिता ने शादी में एक मोटरसाईकिल, गृहस्थी का पूरा सामान एवं पचास हजार रुपए नगद दिये थे। शादी के बाद कुछ समय परिवादिया अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी। शादी के एक साल बाद परिवादिया की मारपीट की जाने लगी थी। शादी के एक साल बाद से आरोपी परविन, शाहरूख खों, कल्लू खों, सकूरन एवं कासिम सभी लोग मिलकर परिवादिया को अन्य दहेज जाने के लिए तंग करने लगे थे और परिवादिया के साथ

कूरता का व्यवहार करने लगे थे। उक्त लोग परिवारिया से कहते थे कि तुम सुन्दर नहीं हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। आरोपीगण परिवारिया को जान से मारने का प्रयत्न करने लगे थे। दिनांक 08.08.2014 को सभी आरोपीगण ने परिवारिया के दहेज का सामान अपने पास रख लिया था एवं परिवारिया को घर से निकाल दिया था तब से परिवारिया अपने पिता के पास रहकर जीवन यापन कर रही है। दिनांक 28.10.2014 को ग्राम गुहीसर में परिवारिया एवं आरोपीगण के मध्य पंचायत हुई थी, जिसमें सभी आरोपीगण आये थे, आरोपीगण ने पंचायत में परिवारिया को रखने से मना कर दिया था तथा सभी आरोपीगण ने परिवारिया की मारपीट की थी। तब मौके पर परिवारिया के भाई सकूर व नरेन्द्र ने उसे बचाया था। आरोपीगण ने भविष्य में जान से मारने की धमकी दी थी। परिवारिया में घटना की रिपोर्ट लिखित में थाना प्रभारी मौ व पुलिस अधीक्षक भिण्ड को की थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, इस कारण परिवारिया द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था।

3. न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र की जांच की गई एवं जांच उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत परिवाद का संज्ञान लिया गया एवं आरोपीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। आरोपीगण के उपस्थित होने पर प्रकरण में आरोप पूर्व साक्ष्य अंकित की गई। तत्पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् पृथक से अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27.07.2013 से दिनांक 28.10.2014 के मध्य ग्राम गुहीसर में परिवारिया आसमां के पति/नातेदार होकर परिवारिया आसमां से दहेज में पचास हजार रुपए की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवारिया आसमां की मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवारिया की ओर से परिवारिया आसमां अ0सा0 1 एवं सकूर खॉ अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

##### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवारिया आसमां अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसकी शादी 27 जुलाई 2013 को शाहरुख के साथ ग्राम गुहीसर में हुई थी। शादी में उसके पिता ने पचास हजार रुपए नगद, गाड़ी एवं पूरा सामान दिया था। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में ठीक-ठाक रही थी। एक साल बाद उसकी सास सकूरन, ससुर कासिम, ननंद परवीन, जेट कल्लू एवं पति शाहरुख ने उसकी मारपीट करना शुरू कर दिया था। आरोपीगण उससे कहते थे कि पचास हजार रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हें रखेंगे। आरोपी एक साल तक उसकी मारपीट करते रहे थे, परन्तु उसने किसी को नहीं बताया था। जब आरोपीगण ने ज्यादा मारपीट की थी तो उसने अपने पिता को बताया था वह ग्राम पंडोखर थाने में भी गई थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके पिता उसे मायके ले आये थे फिर गांव में पंचायत हुई थी, वहां सभी आरोपीगण आये थे। पंचायत के दौरान सभी आरोपीगण उठकर उसे मारने लगे थे तब उसके भाई सकूर एवं चाचा नरेन्द्र ने उसे बचाया था। आरोपीगण ने उससे कहा था कि हम तुझे नहीं रखेंगे, अगर तू आयेगी तो तुझे मार डालेंगे, आरोपी यह कहकर चले गये थे, तब से वह अपने मायके में रह रही है।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि शादी के बाद वह पहली बार आठ दिन ससुराल में रही थी फिर चार दिन अपने मायके में रहकर ससुराल में चली गई थी जब वह दूसरी बार ससुराल गई थी तब वह दो से तीन महीने ससुराल रही थी एवं इन दो-तीन महीनों में उसकी ससुराल वालों ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। इसी पद क्रमांक में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके ससुराल जाने के आठ-दस दिन बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसकी मारपीट करना शुरू कर दिया था। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने मायके आकर दहेज मांगने वाली बात सबसे पहले अपनी मां को बताई थी, उसने फोन पर अपने पिता तथा भाई को कभी भी दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई है। पद क्र० 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि जब उसके पिता उसे लेकर आये थे तब उसके शरीर पर मारपीट तथा चोटों के निशान थे। पद क्र० 8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता उसे ससुराल से जुलाई 2014 में लेकर आये थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह आखिरी बार अपनी ससुराल से अपने मायके अपने पिता के साथ आई थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 12 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसे ससुराल में अच्छी तरह से रखते थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे कभी भी दहेज के लिए मारपीट नहीं की थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे कभी भी पचास हजार रुपए की मांग नहीं की थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी पंचायत में मारपीट नहीं की थी।

9. साक्षी सकूर खॉँ अ०सा० 2 जो कि परिवादिया का भाई है, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसकी बहन आसमां की शादी दिनांक 27.07.2013 को शाहरुख के साथ हुई थी, शादी के कुछ दिन बाद ही आसमां की ससुराल से फोन आया था। आसमां ने फोन पर बताया था कि आरोपीगण उससे पचास हजार रुपए मांगते हैं।

10. तर्क के दौरान आरोपीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि शादी के एक साल बाद आरोपीगण उससे पचास हजार रुपए दहेज की मांग करने लगे थे। आरोपीगण उससे कहते थे पचास हजार रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हें रखेंगे। सकूर खॉँ अ०सा० 2 ने भी आरोपीगण द्वारा परिवादिया आसमां से पचास हजार रुपए दहेज मांगना बताया है परन्तु यह तथ्य का उल्लेख मूल परिवाद पत्र में नहीं है। परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रुपए दहेज की मांग करते थे परन्तु यह बात परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र में वर्णित नहीं की गई है परिवाद पत्र में यह वर्णित नहीं है कि आरोपीगण परिवादिया से पचास हजार रुपए दहेज की मांग करते थे इस प्रकार उक्त बिन्दु पर परिवादिया आसमां अ०सा० 1 के कथन उसके परिवाद पत्र से पुष्ट नहीं रहे हैं, जो परिवादी के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

12. परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण एक साल तक उसकी मारपीट करते रहे थे पर उसने किसी को नहीं बताया था जब आरोपीगण ने ज्यादा मारपीट की थी तो उसने अपने पिता को बताया था फिर उसके पिता उसे मायके ले आये थे। परन्तु इस तथ्य का उल्लेख भी परिवाद पत्र में नहीं है। परिवाद पत्र में वर्णित अनुसार आरोपीगण ने दिनांक 08.08.2014 को परिवादिया को घर से निकाल दिया था तभी से परिवादिया अपने पिता के यहां रह रही थी जबकि परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि उसके पिता उसे उसकी ससुराल से लेकर आये थे, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी परिवादिया आसमां अ०सा० 1 का कथन उसके परिवाद पत्र से पुष्ट नहीं रहा है जो उक्त बिन्दु पर परिवादिया के कथनों को संदेहास्पद बना देता है।

13. परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में यह बताया है कि शादी के दो-तीन महीने तक आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी परन्तु इसी पद क्रमांक में आगे परिवादिया द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके ससुराल जाने के आठ-दस दिन बाद से ही आरोपीगण ने उसकी मारपीट करना शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने



अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रुपए दहेज की मांग करते थे तथा न लाने पर उसकी मारपीट करते थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 12 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसे ससुराल में अच्छी तरह रखते थे, आरोपीगण ने उससे कभी भी पचास हजार रुपए दहेज की मांग नहीं की थी एवं न ही उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी कोई मारपीट पंचायत में नहीं की थी। इस प्रकार परिवादिया आसमां अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। परिवादिया द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे पचास हजार रुपए दहेज की मांग नहीं की थी। इस प्रकार परिवादिया ने स्वयं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने के तथ्य से इंकार किया है, यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

14. जहां तक सकूर खॉ अ०सा० 2 के कथन का प्रश्न है तो सकूर खॉ अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण आसमां से पचास हजार रुपए दहेज की मांग करते थे परन्तु परिवादिया आसमां अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने के तथ्य से इंकार किया है इसके अतिरिक्त सकूर खॉ अ०सा० 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण आसमां से कहते थे कि तुम सुन्दर नहीं हो परन्तु यह बात स्वयं आसमां द्वारा नहीं बताई गई है, इस प्रकार आसमां अ०सा० 1 एवं सकूर खॉ अ०सा० 2 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

15. प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि परिवादिया आसमां अ०सा० 1 तथा सकूर खॉ अ०सा० 2 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। परिवादिया आसमां अ०सा० 1 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर अपने परिवाद पत्र से भी पुष्ट नहीं रहे हैं, परिवादिया आसमां अ०सा० 1 द्वारा स्वयं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने के तथ्य से इंकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

16. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.07.2013 के पश्चात् से दिनांक 28.10.2014 के मध्य ग्राम गुहीसर में परिवादिया आसमां के पति/नातेदार होकर परिवादिया आसमां से दहेज में पचास हजार रुपये की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर परिवादी आसमां को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी शाहरुख, परवीन, कल्लू खॉ, सकूरन एवं कासिम खॉ में से प्रत्येक को भा०द०स० की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

18. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक –06-04-2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)